[डा० रामजी सिंह]

आज अगर देश में शिक्षा जागृत हो जाये तो प्रतिरक्षा से भी इस की शक्ति ज्यादा बढ़ेगी इसलिए अगर इस को केन्द्रीय सूची में नहीं रख सकते हैं तो समवर्ती सूची में रखने की जो उन की मांग है, उस को स्वीकार कीजिये। सभापति महोदय, मैं एक शिक्षक हूं और इसीलिये शिक्षकों के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकता हूं। राज्य सरकारों के पास पैसा नहीं है, उन के कोष दिवालिया हैं, यही कारण है कि शिक्षक घरेलू नौकर की तरह से रहता है। मैं समवर्ती सूची में जब शिक्षा को लाने के लिये कहता हूं तो मैं यह कभी नहीं कहता कि शिक्षा की स्वायतत्ता समाप्त हो जाये। जब शिक्षा सत्ता और सम्पत्ति की दासी बनती है तो वह निस्तेज और निर्वीय बनती है। इसलिये जब हम यह कहते हैं कि शिक्षा को समवर्ती सूची में लाना चाहिये तो हम यह भी निवेदन करना चाहते हैं कि सम्पूर्ण देश में शिक्षा की स्वायतत्ता की प्रतिष्ठा हो और प्राइमरी स्टेज तथा सैकण्ड्री स्टेज पर एक नेशनल आटोनामस एजूकेशन बोर्ड की स्थापना हो।

जब कभी भी कटौती का प्रश्न आता है तो शिक्षा में से कटौती की जाती है और आज तीस वर्षों के बाद भी हम यह कहते हैं कि हमारे यहां इतने निरक्षर हैं। हमारे प्रधान मंत्री जी ने यह कहा है कि निरक्षरता निवारण के लिये हम महा-आन्दोलन करेंगे, तो क्या उस के लिये विश्वविद्यालय के शिक्षक जायेंग। आप उन से ऐसी उम्मीद न कीजिये, आप उन के वेतन बढ़ा सकते हैं, 1600 रुपये से बढ़ा कर 1800 रुपये कर सकते हैं, लेकिन आप उन के द्वारा निरक्षरता निवारण अभियान कभी भी सफल होने की आशा नहीं कर सकते हैं। इसके लिये आप को प्राथमिक शिक्षकों का ही सहयोग लेना होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि प्राथमिक शिक्षकों की यह मांग कि शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया जाय, यह उचित मांग है और सारे सदन को इसे स्वीकार करना चाहिये।

(iii) CLOSURE OF GURUKAL KANGRI UNIVERSITY

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच): सभापति महोदय, मैं सरकार का ध्यान भारतवर्ष के एक बहुत पुराने सांस्कृतिक शिक्षा केन्द्र की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसे भारतवर्ष के विख्यात स्वतन्त्रता सेनानी स्वामी श्रद्धानन्द जी ने स्थापित किया था। मेरा तात्पर्य "गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार" से है, जो एक विश्व-विद्यालय का रूप धारण कर चुका है और केन्द्रीय सरकार उसे सहायता दे रही है। वह गुरुकुल आज बन्द हो गया है, वहां एक भी विद्यार्थी नहीं रहा है, उस पर गुण्डों का अधिकार हो गया है और खेद की बात यह है कि वहां पुलिस भी उन्हीं का समर्थन कर रही है।

सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन को बतलाना चाहता हूं--आपत्कालीन स्थिति के समय में भी उन्हीं तत्वों ने, जिनके नेता अग्निवश हैं, कांग्रेस सरकार के साथ मिल कर एक मंत्री की सहायता से, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, उस गुरुकुल पर अधिकार किया था और यहां तानाशाही चलाई थी। जब अधिकारियों से मिला गया तब गुरुकुल वापस मिला था। अब जनता सरकार के आने के पश्चात् वह गुरुकुल ठीक चल रहा था, सरकार की सहायता भी मिल रहा थी, लेकिन खेद है कि 100-200 गुण्डों को लेकर वे फिर गुरुकुल में आ गए और उन्होंने वहां जाकर अधिकार कर लिया। उस के पश्चात् उन्होंने फार्मेसी पर भी हमला किया। आज वहां क्या स्थिति है--मेरे पास तार आया है--मैं उसे पढ़कर सुनाना चाहता हूं--

"Gurukul Kangri University being rampaged raided by goondas led by V. S. Verma, Baljeet Singh, Om Pal, Rambabu Pachbhaiya. Women being molested, employees beaten, their water electricity disconnected. Life and property of staff in danger. please help."

दूसरा तार यह आया है :

"Gurukul Kangri University and Pharmacy having been raided by

about 150 goodas at the instigation of Indervesh and Agnivesh, an atmosphere of terror and violence prevails in the campus. The employees are being beaten, their wives molested, they are compelled to vacate the staff quarters by physical force, their water and electricity connection having been disconnected, and their life and property are in danger."

ये तार मेरे पास आए हैं और कल का समाचार यह है जो मेरे पास आया हैं कि वहां करीब 250 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है जो पंजाब से आए हैं। चान्सलर और वहां के अधिकारी, जो सीनेट की मीटिंग करने के लिए वहां पर गये थे, वहां पर जाने के बाद उन को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं वहां के अधिकारियों से मिला और मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि कलक्टर, एस० पी० और हरिद्वार के पुलिस अफ़सर, सब इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि जो आदमी वहां पर पहुंचे हुए हैं, वे गुण्डा एलिमेंट हैं और वे वहां पर गड़बड़ कर रहे हैं। वहां के अधिकारी लोग इस बात को मानते हैं और जब मैंने उन से कहा कि आप इस तरह से क्यों उनकी सहायता कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं जानते आप ऊपर बात कीजिए। 'ऊपर' की बात मेरी समझ में नहीं आई, यह 'ऊपर' कौन सी बला है। मैं जानता हूं कि कहां से डोर हिलाई जा रही है। इस प्रकार डोर हिला कर 250 आदमियों को गिरफ्तार किया गया है और मैं आज यह सूचना देना चाहता हूं कि आर्यसमाज का यह महान इंस्टीट्यूशन है और आर्यसमाज इस प्रकार की स्थिति को सहन नहीं करेगा। आर्यसमाज की आल इन्डिया वर्किंग कमेटी की बैठक होगी और अगर यह मसला हल नहीं हुआ, तो आल इन्डिया बेसिस पर सत्याग्रह प्रारम्भ होगा और जनता पार्टी की पोजीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। इसलिए समय रहते मैं चेतावनी दे रहा हूं। मैं एजूकेशन मिनिस्टर साहब के पास गया। दुर्भाग्यवश, इस तरह का जो वहां पर एलिमेंट है, उस का नेता अग्निवश है और वह उन का चेला रहा हैं। वह हम से कहते हैं कि समझौता कर लीजिए। जो वहां पर वाइस चान्सलर थे और जिन को आप सहायता देते रहे हैं, वह सहायता कैसे बन्द हुई। शिक्षा मंत्रालय ने वह सहायता बन्द कर दी, जिस का नतीजा यह हुआ कि वहां के विद्यार्थी भाग गये। आज वह संस्था बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। अब जो फार्मेसी वहां पर है जिस में लाखों रुपये की दवाइयां बनती हैं, उस पर बन्दूकों से हमला किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि यह सारी अवस्था जो वहां पर हो गई है, उस की तरफ़ केन्द्रीय सरकार को ध्यान देना चाहिए और तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए नहीं तो एक देशव्यापी आन्दोलन आर्यसमाज की ओर से शुरू होगा और उस का जो परिणाम सामने आएगा, जनता सरकार को वह बहुत मंहगा साबित होगा। इसलिए मैं समय पर चेतावनी देना चाहता हूं कि सरकार समय पर पग उठावे और जो सही अधिकारी हैं, उनके हाथों में इस को दिया जाए। अफ़सोस इस बात का है कि हम जजमेंट लिये घूमते हैं, कोर्ट के जजमेंट हम दिखाते हैं कि वहां के अधिकारी कौन कौन हैं लेकिन उसको कोई पढ़ने वाला नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि कहां पर वे लोग जांए, ये 'ऊपर' वाले कौन हैं, मेरी समझ में नहीं आता। मेरे पास आर्यसमाज के लोग आ रहे हैं और मुझसे सवाल पूछते हैं कि आप तो जनता पार्टी में है और दिल्ली में रहते हैं। आप कुछ करिये क्योंकि हमारी यह संस्था बर्बाद हो रही है। इसलिए मैं खास तौर से यह चेतावनी देने के लिए आप की सेवा में प्रस्तुत हुआ हूं और सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह इस तरफ़ ध्यान दे।

(iv) CLOSURE OF LAXMI COTTON MILLS, AHMEDABAD

SHRI PRASANNABHAI MEHTA (Bhavnagar): Mr. Chairman, Sir, I make this statement under Rule 377 regarding closure of Laxmi Cotton